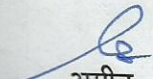


एन.पी.वी. प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :-

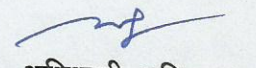
जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणार्ई-मौल्ला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद चमोली के विकासखण्ड जोशीमठ के अन्तर्गत पातालगंगा से गणार्ई-मौल्ला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि की स्वीकृति मिलने पर एन.पी.वी. की धनराशि यदि मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार द्वारा भविष्य में एन०पी०वी० की वर्तमान दरों में वृद्धि की जाती है, तो लोक निर्माण विभाग द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय/भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप बढ़ी हुई एन०पी०वी० धनराशि का भुगतान वनविभाग को किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता


सहायक अभियन्ता


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०,
गोपेश्वर

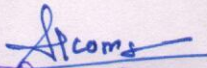
एन0पी0वी0 की धनराशि का आंकलन

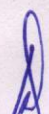
परियोजना का नाम:- जनपद चमोली के विकाखण्ड जोशीमठ में पातालगंगा से गणाई मोल्टा तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.81 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के आदेश सं० File No.5-3/2011-FC(Vol-I) दिनांक 06.01.2022 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार वन भूमि हेतु एन0पी0वी0 की देयता निम्नानुसार है:-

- 1- ईको-क्लास श्रेणी - V
- 2- हरियाली का घनत्व- 0.2
- 3- एन0पी0वी0 की दर प्रति रू० 10,05,210.00
- 4- आवेदित वन भूमि का क्षेत्रफल- 1.81 है०
- 5- कुल देय एन0पी0वी0 की धनराशि रू० 1819430.10

या देय धनराशि रू० 18,19,430.00


प्रभागीय वनाधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर
(चमोली)


वन क्षेत्राधिकारी
चमोली रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग-गोपेश्वर